22

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक : 849-पीबीआर/2008 - विरूद्ध आदेश दिनांक 17-4-2008 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 87/2007-08 अपील

बनवारी पुत्र घूड़ीलाल मीणा
ग्राम कुड़ायता तहसील व जिला श्योपुर ---अपीलांट

विरूद्ध

1- मनोज पुत्र हजारीलाल सरपंच ग्राम पंचायत
कुडायता तहसील व जिला श्योपुर
3- मणिशंकर पुत्र श्यामलाल सचिव ग्राम पंचायत
कुडायता तहसील व जिला श्योपुर
2- मध्य प्रदेश शासन ---रिस्पांडेन्टस

(आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदक-1,2 सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 02-11 -2017 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 87/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-4-08 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि कलेक्टर जिला श्योपुर ने प्रकरण क्रमांक 134/2006-07 अ- 60 में पारित आदेश दिनॉक 29-9-2007 से म0प्र0

भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के अंतर्गत ग्राम कुड़ायथा तहसील श्योपुर की आराजी क्रमांक 222/3 रकबा 0.828 हैक्टर में से 0.105 हैक्टर शासकीय भवन ऑगनवाड़ी केन्द्र के लिये आरक्षित की। इस आदेश के विरुद्ध अपीलांट ने अपर आयुक्त, चम्बल सँभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की । अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 87/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-4-2008 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ अपील में अंकित आधारों पर अपीलांट के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 87/2007-08 अपील का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

3/ अपीलांट के अभिभाषक का तर्क है कि ग्राम कुड़ायता की भूमि सर्वे नंबर 222 रकबा 61 वीघा 17 विसवा के रकबा 5 विसवा पर अपीलांट का मकान बना हुआ है जिसमें वह निवास करता आ रहा है। भूमि राजस्व अभिलेख में चरनाई जरूर दर्ज है किन्तु अपीलांट ने भी रकबा 5 विसवा की नोईयत परिवर्तन का आवेदन दिया है जिसमें ग्राम पंचायत का अनुसॅशा पत्र लगा है । अपीलांट के पक्ष में बैधानिक स्थिति होते हुये विचार नहीं किया गया तथा गलत तरीके से अपीलांट को सुनवाई का मौके दिये बिना ही उक्त भू भाग आंगनवाडी केन्द्र के लिये गलत तरीके से आरक्षित कर दिया गया। जब इन्हीं तथ्यों को बताते हुये अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना के समक्ष अपील की गई, परन्तु अपर आयुक्त चंबल संभाग ने सही स्थिति को जाने बिना ही अपील निरस्त करने में भूल की है । उन्होंने अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने की मांग रखी।

4/ अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों पर विचार करने पर स्थिति यह है कि ग्राम कुड़ायथा तहसील श्योपुर में शासकीय भवन ऑगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण होना था, जिस पर तहसीलदार श्योपुर से स्थिति मंगाई गई। तहसीलदार श्योपुर ने ग्राम कुड़ायथा की भूमि सर्वे क्रमांक 222/3 रकबा 0.826 हैक्टर में रकबा 0.105 हैक्टर आंगनवाड़ी केन्द्र के लिये चयनित करते हुये ग्राम पंचायत

से सार्वजनिक हित वावत् अभिमत मांगा है एंव ग्राम पंचायत ने ग्राम कुड़ायथा की भूमि सर्वे क्रमांक 222/3 रकबा 0.826 हैक्टर में रकबा 0.105 हैक्टर आंगनवाड़ी केन्द्र के लिये आरक्षित करने पर एंव आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण के लिये सहमति व्यक्त की है। तहसीलदार श्योपुर ने सार्वजनिक सूचना के लिये ग्राम के चौपाल पर, तहसील के नोटिस बोर्ड पर इस्तहार का प्रकाशन कराया है किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के माध्यम से अनुसॅशा पत्र कलेक्टर श्योपुर की ओर अग्रेषित किया है जिस पर से कलेक्टर जिला श्योपुर ने प्रकरण क्रमांक 134/2006-07 अ- 60 में पारित आदेश दिनॉक 29-9-2007 से म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के अंतर्गत ग्राम कुड़ायथा तहसील की आराजी क्रमांक 222/3 रकबा 0.828 हैक्टर में से 0.105 हैक्टर शासकीय भवन ऑगनवाड़ी केन्द्र के लिये आरक्षित की है। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने लेने से अपीलांट को किसी प्रकार का स्वत्व नहीं पहुंचता है जिसके कारण अपीलांठ व्दारा की गई अपील व्यर्थ है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 87/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-4-08 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर